प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

06-अप्रैल-2018 17:34 IST

स्वर्ण मुद्रीकरण कार्यक्रम, सोने के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए परिवारों को अपने सोने का मुद्रीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है

भारत सरकार ने 5 नवंबर, 2015 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) 2015, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना और भारतीय स्वर्ण सिक्का (आईजीसी) लॉन्च किया है। गोल्ड मुद्रीकरण योजना के विस्तृत दिशानिर्देश आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन नं। डीबीआर के माध्यम से उपलब्ध हैं। आईबीडी.No.45l23.67.003 / 2015-16 दिनांक 22 अक्टूबर, 2OL5, जो आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्वर्ण स्वर्ण बॉण्ड योजना के विस्तृत दिशानिर्देश भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना एफ.एन. के माध्यम से उपलब्ध हैं। 4 (25) -W और एम / 2017 दिनांक 6 अक्टूबर, 2 ओ 17। इंडियन गोल्ड सिक्का 99 9 फिटनेस के साथ 24 कैरेट शुद्धता का देश का पहला राष्ट्रीय स्वर्ण सिक्का है जिसे स्वदेशी खनन किया जाता है। इसमें अशोक चक्र एक तरफ उत्कीर्ण है और दूसरे पर महात्मा गांधी जी का चेहरा है।

सरकार को विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से योजनाओं को बेहतर बनाने के सुझावों के साथ प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इन्हें योजनाओं की समीक्षा के आधार पर समय-समय पर किए गए नोट और आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कर माफी प्रदान नहीं करती है, गोल्ड मुद्रीकरण योजना पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक जो वित्त मंत्रालय, कर छूट, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो कि गोल्ड डिपोजिट स्कीम (जीडीएस) के तहत उपलब्ध हैं, लागू होने पर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य देश में घरों और संस्थानों द्वारा आयोजित सोने को इकट्ठा करना है ताकि इस सोने को उत्पादक उपयोग में रखा जा सके और सोने के आयात पर देश के निर्भरता को कम करके चालू खाता घाटे को कम करने के लिए लंबे समय तक घरेलू मांग

2017 के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, चीन चीन के पीछे सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पी राधाकृष्णन ने यह कहा था।

****

डीएसएम / आरएम / KA